रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED No. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977 (माघ 23, 1898)

No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977 (MAGHA 23, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	133
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	189
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	175
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोडकर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	405
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	555
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	55
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	703
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	175
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	615
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	23

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	133
PART I—SECTION 2.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	189
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I.—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Officers issued by the Ministry of Defence	175
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	405
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	555
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	55
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	703
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	175
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	615
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	23

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 22 जनवरी 1977

स० एफ० 2 (10)-एन० एम०/76—राष्ट्रपति ने इसके द्वारा डाकघर (सावधि जमा) नियमावली 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं; अर्थात् :—

1 (1) इन नियमो को डाकघर (सावधि जमा) संशोधन नियम 1977 कहा जाएगा ;

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 डाकघर (सावधि जमा) नियमावली 1970 मे नियम 8, के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"8क फिर से जमा करना" यदि कोई खाता अथवा उस खाते की विशेष जमा रकम वापसी अदाएगी के लिए देय हो गई हो तो जमाकर्ता रकम की निकासी तथा उसकी आपसी अदाएगी के लिए फार्म 'ख' पर आवेदन पत्र देकर उस जमा रकम को या तो उसी खाते मे या सावधि जमा खाते में, इसमे से जो भी हो, फिर से जमा कर सकता है। इस प्रकार के मामले में रकम जमा किए जाने की तारीख वही होगी जो पहले के खाते अथवा उस में जमा राशि की वापसी अदाएगी की तारीख निर्धारित की गई होगी।

लेकिन फिर से जमा की जाने वाली रकम निम्नलिखित अवधि से कम अवधि के लिए नही जमा की जाएगी :—

वापसी अदाएगी किए जाने की निर्धारित तारीख और फिर से जमा करने की तारीख के बीच अंतर	न्यूनतम अवधि जिसके लिए रकम फिर से जमा की जाएगी।
6 महीने अथवा कम	1 वर्ष
6 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने तक	2 वर्ष
12 महीने से अधिक लेकिन 18 महीने तक	3 वर्ष
18 महीने से अधिक लेकिन 60 महीने तक	5 वर्ष

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 13 जनवरी 1977

सं० 44/1/76-प्रशासन-एक—केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पूना के कार्य तथा संगठनात्मक पहलुओ पर विचार करने के लिए गठित की गई समिति के संबध मे इस मत्रालय के संकल्प स० 44/1/75-प्रशासन-एक, दिनांक 15 अप्रैल, 1976 मे पैरा 5 (vii) के बाद निम्नलिखित को जोड़ दिया जाए:—

(vii) केन्द्रीय जल आयोग के केन्द्रीय भू तथा सामग्री अनुसंधान शाला के संगठनात्मक ढांचे तथा प्रचालन के तरीको की यह सुनिश्चित करके समीक्षा करना कि अनुसंधान शाला इसके कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक सभालने मे समर्थ है।

2 उच्च स्तरीय समिति की अवधि को भी फरवरी, 1977 के अन्त तक की और अवधि के लिए एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त सकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

बृज मोहन, किशन भट्ट
संयुक्त सचिव

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1977

संकल्प

सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक मे यह सिफारिश की कि इस लक्ष्य को दृष्टि मे रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पादन करना ही हमारा लक्ष्य नही है और न ही इसे पूजी—निवेश ही माना जा सकता है और वानिकी कार्मिको का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन करने तक ही सीमित है तथा इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य मे वानिकी सबधी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, सम्बन्धित मत्रालयो के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार ने औषधीय वनस्पति तथा जडी बूटियो के लिए एक विकास समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1.	वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि मत्रालय (कृषि विभाग)।	अध्यक्ष
2.	निदेशक, केन्द्रीय भारतीय औषधीय वनस्पति सगठन, लखनऊ।	सदस्य
3.	निदेशक, औषध अनुसधान सस्था, लखनऊ।	सदस्य
4.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि।	सदस्य
6.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना का प्रतिनिधि।	सदस्य

7.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।	सदस्य
9.	निदेशक, केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कसार गोड (केरल) ।	सदस्य
9.	संयुक्त आयुक्त (नकदी फसल), कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) ।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय देहरादून ।	सदस्य
11	महावनपाल, जम्मू व कश्मीर ।	सदस्य
12.	महावनपाल, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
13	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
14	उद्योग निदेशक, जम्मू व कश्मीर ।	सदस्य
15	प्रभारी अधिकारी, लघु वन उत्पाद शाखा, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ।	सदस्य
16.	वन उत्पाद रसायन शाखा के प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ।	सदस्य
17	निदेशक, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड (भारत सरकार का संस्थान) 12, साऊथ एक्सटेंशन (पार्ट-1), नई दिल्ली ।	सदस्य
18.	सचिव, भारतीय फार्मेस्यूटिकल्स संस्था, कालिना, पूर्वी सांताकुज, बम्बई-400029, ए० एस०	सदस्य
19.	सहायक वन महानिरीक्षक, (वन संस्थान) कृषि विभाग ।	संयोजक

कार्य :

1. मौजूदा उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा समुचित उपायों की सिफारिश करना,
2. मौजूदा एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावों पर विचार करना,
3. कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना ;
4. जिन वनस्पतियों तथा जडी बूटियों से औषधियां बनाए जाने की संभावनाएं हों, लेकिन जिनका समुचित उपयोग न किया गया हो, उनके संबंध में विकास । अनुसंधान संबंधी कार्यक्रमों की सिफारिश करना;
5. उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना ।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति/संगठन को सहयोजित कर सकती है ।

समिति की अवधि

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक कार्य करेगी लेकिन यह अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है ।

समिति का मुख्य कार्यालय

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा । लेकिन समिति वनों पर आधारित उद्योगों से सम्बन्धित किसी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पादन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न इसे पूंजी-निवेश ही माना जा सकता है और वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन करने तक ही सीमित है तथा इस बात पर विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी संबंध योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । इसके अनुसरण में भारत सरकार ने पैकिंग पेटियों की एक विकास समिति गठित करने का फैसला किया है । इस समिति का गठन निम्नलिखित रूप से होगा ।

1	वन महानिरीक्षक तथा भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के पदेन अपर सचिव ।	अध्यक्ष
2.	कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार	सदस्य
3.	राष्ट्रीय कृषि सहकारी तथा विपणन संघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
4	निदेशक (बागबानी) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)	सदस्य
5.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	बागबानी निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
7	बागबानी निदेशक, कर्नाटक सरकार	सदस्य
8.	महा वनपाल, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
9	महा वनपाल कर्नाटक	सदस्य
10	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
11	निदेशक, वन उत्पाद अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
12	निदेशक, भारतीय पैकिंग संस्थान, ई-2, मारोल औद्योगिक क्षेत्र, अंधेरी (ईस्ट), बम्बई-400029 ए एस	सदस्य
13.	परियोजना समन्वयक, पैकिंग टैक्नालौजी, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद) मैसूर-570013	सदस्य
14.	सहायक वन महानिरीक्षक (वन संस्थान) कृषि विभाग	संयोजक

कार्य :

1. मौजूदा उद्योगों को लकड़ी और अन्य कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, सतत सप्लाई सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का पता लगाना और समुचित उपायों की सिफारिश करना ।
2. मौजूदा यूनिटों के विस्तार या नई यूनिटों की स्थापना के लिए लकड़ी की कच्ची सामग्री की सप्लाई के प्रस्तावों पर विचार करना ।
3. लकड़ी की कच्ची सामग्रियों की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना ।

4 पैकिंग सामग्रियों के रूप में प्रयोग करने के लिए बोर्ड बनाने हेतु चिप, बुरादा, देवदार के पत्ते जैसे लकड़ी के व्यर्थ पदार्थों के प्रयोग के सम्बन्ध में अनुसंधान/विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप शुरू करना ।

5 अध्यक्ष की अनुमति से उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर विचार करना ।

समिति आवश्यक होने पर किसी व्यक्ति/संगठन को सहयोजित कर सकती है ।

समिति का कार्य-काल

शुरू में यह समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है ।

समिति का मुख्य कार्यालय

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा । तथापि, समिति की बैठक लकड़ी पर आधारित उद्योगों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण केन्द्रों पर हो सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

सं० 7-9/76-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पादन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न इसे पूंजी-निवेश ही माना जा सकता है और वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन करने तक ही सीमित है तथा इस बात पर विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी संबंधी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, संबंधित मंत्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार ने खेल-कूद सामग्री उद्योग के लिए एक विकास समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1	वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (कृषि विभाग) ।	अध्यक्ष
2	वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात संवर्धन) का प्रतिनिधि ।	सदस्य
3	औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि ।	सदस्य
4.	योजना आयोग का प्रतिनिधि ।	सदस्य
5.	विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली ।	सदस्य
6.	खेल-कूद सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।	सदस्य
7	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।	सदस्य
8.	उद्योग निदेशक, पंजाब ।	सदस्य
9.	उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
10.	महावनपाल, पंजाब ।	सदस्य
11.	महावनपाल, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून ।	सदस्य
13	मुख्य समन्वयक, राष्ट्रीय वन स्रोत सर्वेक्षण ।	सदस्य
14.	सचिव, खेल-कूद उद्योग संघ, जालंधर ।	सदस्य
15	सचिव, अखिल भारतीय खेल-कूद विनिर्माता संघ (पंजीकृत) मेरठ ।	सदस्य
16.	निर्यात संवर्धन एकक, कृषि विभाग का प्रतिनिधि ।	सदस्य
17	सहायक वन महानिरीक्षक (वन संस्थान), कृषि विभाग ।	संयोजक

कार्य

1 मौजूदा उद्योगों को लकड़ी के कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाना तथा समुचित उपायों की सिफारिश करना;

2. मौजूदा एककों के विस्तार अथवा नए एककों की स्थापना करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई के प्रस्तावों पर विचार करना;

3 लकड़ी के कच्चे माल की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रम की सिफारिश करना;

4. आवश्यकतानुसार उपचार करके तथा उपयुक्त बना कर खेल-कूद सामग्री के लिए अब तक प्रयोग न की गई लेकिन उपयोगी लकड़ी का और अधिक प्रयोग करने के लिए अनुसंधान/विकास सम्बन्धी गतिविधियों को शुरू करना,

5. उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार करना ।

समिति जब भी आवश्यक समझे किसी व्यक्ति संगठन को सहयोजित कर सकती है ।

समिति की अवधि .

आरम्भ में समिति तीन वर्ष तक कार्य करेगी लेकिन यह अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है ।

समिति का मुख्य कार्यालय :

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा । लेकिन समिति वनों पर आधारित उद्योगों से सम्बन्धित किसी भी महत्वपूर्ण केन्द्र में अपनी बैठक कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

सं० 7-9/76-एफ०आर०वाई०/एफ०आई०पी०सी०—केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने अक्तूबर, 1974 में हुई अपनी 14वीं बैठक में यह सिफारिश की कि इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि केवल कच्चे माल का उत्पादन करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है और न इसे पूंजी-निवेश ही माना जा सकता है और वानिकी कार्मिकों का उत्तरदायित्व डिपो को वानिकी उत्पाद का परिवहन करने तक ही सीमित है तथा इस बात पर भी विचार करते हुए कि आगामी 15 से 25 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में वानिकी सम्बन्धी योजना बनाने के साथ-साथ औद्योगिक योजना भी बनानी होगी, सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच और अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए । इसका अनुपालन करते हुए भारत

भारत सरकार ने पैनल उत्पादन उद्योग के लिए एक विकास समिति का गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1.	वन महानिरीक्षक तथा भारत सरकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, (कृषि विभाग) के पदेन अपर सचिव	अध्यक्ष
2.	योजना आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	राष्ट्रीय इमारत संगठन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	रेलवे बोर्ड नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
9.	महा वनपाल, केरल } बारी-बारी से	सदस्य
10.	महा वनपाल, अरुणाचल प्रदेश } बारी-बारी से	सदस्य
11.	उद्योग निदेशक, केरल	सदस्य
12.	उद्योग निदेशक, अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
13.	निदेशक, वन उत्पाद अनुसंधान, वन अनुसंधान संस्थान तथा महाविद्यालय, देहरादून	सदस्य
14.	मुख्य समन्वयक, राष्ट्रीय वन संसाधन सर्वेक्षण	सदस्य
15	निर्यात संवर्धन प्रभाग, कृषि विभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
16	निदेशक, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलौर।	सदस्य
17.	कार्यकारी निदेशक, भारतीय प्लाईवुड तथा पैनल उद्योग संघ, नई दिल्ली।	सदस्य
18.	मेसर्स अदमान टिम्बर लिमिटेड, खैतान चैम्बर्स, 26 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-700012	सदस्य
19.	सहायक वन महानिरीक्षक (वन संस्थान), कृषि विभाग	संयोजक

कार्य .

1. मौजूदा उद्योगो के लकडी के कच्चे माल की सप्लाई की स्थिति पर विचार करना, सतत सप्लाई सुनिश्चित करने मे कठिनाइयो का पता लगाना तथा समुचित उपायो की सिफारिश करना।
2. मौजूदा यूनिटों के विस्तार या नई यूनिटो की स्थापना के लिए लकडी की कच्ची सामग्री की सप्लाई के प्रस्तावो पर विचार करना।
3. लकड़ी की कच्ची सामग्रियां की वर्तमान और भावी आवश्यकताओ के आधार पर बागान लगाने के कार्यक्रमो की सिफारिश करना।
4. उद्योगो द्वारा कृषि तथा वन उद्योगों के व्यर्थ पदार्थों के उपयोग पर विचार करना।
5. अध्यक्ष की अनुमति से उपर्युक्त कार्यों से सम्बन्धित किसी अन्य पहलू पर विचार करना।

समिति आवश्यक होने पर किसी व्यक्ति/संगठन को सहयोजित कर सकती है।

समिति का कार्य-काल

शुरू मे यह समिति तीन वर्ष तक काम करेगी लेकिन इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है।

समिति का मुख्य कार्यालय .

समिति का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मे होगा। तथापि, समिति की बैठक लकड़ी पर आधारित उद्योगो से सम्बन्धित महत्वपूर्ण केन्द्रो पर हो सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियो को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित कर दिया जाए।

एस० के० सेठ
वन महानिरीक्षक तथा पदेन अपर सचिव

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी 1977

स० एफ० 1-2/75-एस० पी० -1—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ० 1-2/75-एस० पी०-1, दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के साथ पढ़े जाने वाले उसी संख्या के संकल्प दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के अनुसरण मे, जिस द्वारा अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का पुनर्गठन किया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों को 25 दिसम्बर, 1976 से तीन वर्षों की अवधि के लिए अखिल भारतीय खेलकूद परिषद मे मनोनीत किया जाता है :—

अध्यक्ष —

जनरल पी० पी० कुमारमंगलम, डी० एस० ओ० (सेवा निवृत्त)

सदस्य :—

(i) खिलाड़ी
1. श्रीमती स्टेफी सक्विरा
2 श्री मिल्खा सिंह
3. श्री नन्द नाटेकर
4. श्री हेमु अधिकारी
5 श्री पी० राय
6. श्री एस० मेवालाल
7 डा० सी० ओ०
8 श्री बलबीर सिंह
9. श्री एल० क्लोडियस
10. श्रीमती आर्ती गुप्त
11. राजकुमारी भुवनेश्वरी कुमारी
12 श्री प्रेम पांडे
13 श्री आर० कृष्णण
14 श्री चंदगी राम
15. श्री नृपजीत सिंह
16. मेजर एच० पी० एस० अहलुवालिया
17 सूबेदार मेजर अनन्त राम
18. ग्रुप कप्तान जे० के० कपूर
19. श्री पी० जी० सेठी

(ii) खेलकूद

प्रवर्तक
20 श्री बी० एन० काक
21. श्री आर० टी० पार्थसार्थी
22. श्री एस० के० वनखडे
23. श्री भालिन्द्र सिंह
24. श्री आर० के० खन्ना

25. मेजर अमरल आर० बक्शी (सेवा निवृत्त)
26. नाम बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

(iii) खेलकूद

लेखक : 27 श्री रॉन हेड्मिक्स
28 श्री आर० श्रीमन
29. श्री गामिद अंसारी

(iv) शिक्षा विद्

30. डा० आर० सी० मेहरोत्रा
31. श्री जकिउल्लाह खाँ
32. श्री हरि डंग
33. लोक सभा के चार सदस्यों के नाम, और

(v) संसद सदस्य :

38. राज्य सभा के दो सदस्यों के नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

(vi) राज्य खेलकूद परिषदों के प्रतिनिधि

39. श्री पंकजाक्शन (केरल)
40. श्री आर० के० भारगव (उत्तर प्रदेश)
41. नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।
से
43

(vii) पदेन सदस्य :

44. लैफ्टिनेंट जनरल के० पी० कैड्थ (सेवा निवृत्त) महा निदेशक, युवक सेवाएं, मन्त्रीमण्डल सचिवालय
45. श्री सी० वी० रंगानाथन, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
46. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

2. मंत्रालय में खेलकूद के प्रभारी संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार की नामजदगी होने तक श्री एस० के० चतुर्वेदी, निदेशक, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय, अगले आदेशों तक, परिषद् के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

ए० एस० तलवार, उप सचिव

संचार मंत्रालय

(बेतार आयोजना और समन्वय स्कन्ध)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 1976

सं० आर०-11013/4/75-फल० आर० —संचार मंत्रालय एतद्द्वारा भारतीय बेतार तार (वाणिज्यक रेडियो प्रचालक प्रवीणता प्रमाण पत्र और बेतार तार प्रचालन की अनुज्ञप्ति) नियम 1954 के नियम 8 के उपबन्धों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवीणता पत्र परीक्षाओं के लिए उनके सामने दिखाए गए विषयों से सम्बद्ध संशोधित पाठ्यक्रम जारी करता है।

1 प्रथम और द्वितीय श्रेणी रेडियो टेली-ग्राफ प्रचालक प्रमाण पत्र परीक्षाएं	स्थापित मानक रेडियो उपकरण।
2. (एक) प्रथम, द्वितीय और विशेष रेडियोटेलीग्राफ प्रचालक प्रमाण पत्र परीक्षा (दो) रेडियो टेलीफोन प्रचालक (सामान्य) प्रमाणपत्र परीक्षा . (तीन) रेडियो टेलीफोन प्रचालक निर्बन्धित प्रमाण पत्र परीक्षा (केवल सामुद्रिक चल सेवा)	उपकरणों पर प्रायोगिक परीक्षा

संशोधित पाठ्यक्रम 1 मार्च, 1977 से लागू होगा।

परिशिष्ट II

स्थापित मानक रेडियो उपकरण

(विस्तृत पाठ्यक्रम)

क सामुद्रिक चल सेवा

(क) परिशिष्ट IV क में वर्णित उपस्कर, विशेषकर निम्नलिखित को ध्यान में रखकर, के प्रचालन और सरक्यूटेरी (चक्रियता) के सिद्धान्तों का विस्तृत ज्ञान .

(एक) प्रेषित्र .

मध्यम आवृत्ति (एम० एफ०), उच्च आवृत्ति (एम० एफ०) और अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) पर प्रचालन के लिए ब्लाक डायग्राम, (आरेख)।
विभिन्न स्तरों (स्टेज) के कार्य कलाप।
अनिवार्य मीटर गणना सुविधाओं और उनके प्रयोजन।
मूल और अनिवार्य स्तरों (स्टेजों) के परिपथ आरेख (सर्किट डायग्राम)।
मोर्स संदेश भेजने का तरीका।
माड्यूलेशन तकनीक।
अति-भार और प्रतिभार की स्थिति से बचाव।
कार्मिकों की सुरक्षा का प्रबन्ध।
अप्रभावीकरण (न्यूट्रलाइजेशन), आवृत्ति स्थिरता और स्वचल आवृत्ति के परिवर्तन की व्यवस्था।
एअरिल का युगमीकरण (कप्लिंग) और ट्यूनिंग।
ऊर्जा (पावर) उत्पादन दक्षता और बिजली के उत्पादन पर नियंत्रण।
नियन्त्रण के कार्य।
उर्जा (पावर) सप्लाई और अन्य आनुषंगिक उपस्कर।
जहाज पर लगे प्रेषित्रों (ट्रांसमिटरों) की विशेषताएं।

(दो) ग्राहित्र (रिसीवर)

ब्लाक आरेख (डायग्राम) और विभिन्न स्तरों का क्रमानुसार कार्य।
कोलाहाल सीमित्र (लिमिटर), ए० वी० सी० चयनात्मकता (सिलेक्टिविटी) बी० एफ० ओ०, अशाकंक (डीसेंसीटाइजिंग) विसंवेदीकरण, मकून, सवेदनशीलता, तद्रूता और स्थिरता।
प्रमुख स्तरों के परिपथ आरेख।
विभिन्न नियंत्रणों के कार्य।
ऊर्जा (पावर) सप्लाई और अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

(तीन) दिशा निर्देशक

ब्लाक आरेख (डायग्राम) और विभिन्न स्तरों का क्रमानुसार कार्य।
विभिन्न नियंत्रणों के कार्य।
गोइनोमीटर, सदेव (सेंस), अशाकन (केलीब्रेशन) चोक।

(चार) स्वचल अलार्म

ब्लाक आरेख (डायग्राम) और विभिन्न स्तरों का क्रमानुसार कार्य।
परीक्षण की व्यवस्था।
खराबी की चेतावनी देने वाली युक्तियां।
मिलेक्टर एकक में विभिन्न किरणों के कार्य।
ऊर्जा (पावर) सप्लाई और

(पांच) अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

(छः) एअरिअल

जहाज पर प्रयोग किये जा रहे एअरिअलों की किस्में।
पारेषण, अभिग्रहण और जहाज पर प्रयोग किये जा रहे दिशा-निर्देशन के लिए एअरिअलों की प्रस्थापना और रखरखाव।
इन्हीं विशिष्ट एअरिअलों के ले-आऊट आरेख।

ख. वैमानिक चल सेवा।

(क) परिशिष्ट IV ख में वर्णित उपस्कर, के प्रचालन और चक्रियता (सरक्यूटेरी) के सिद्धांतो का विस्तृत ज्ञान निम्नलिखित के संदर्भ में :—

(एक) प्रेषित्र

उच्च आवृत्ति (एच० एफ०) और अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) पर प्रचालन के लिए ब्लाक आरेख।

विभिन्न स्तरो (स्टेज) को कार्यकलाप।

मूल और आवश्यकता स्तरो के परिपथ आरेख (डायग्राम)।

आवश्यक मीटर मापक सुविधाएं।

माडयूलेशन तकनीक।

अतिभार और अतिभार की स्थिति से बचाव।

अप्रभावीकरण (न्यूट्रलाइजेशन), आवृत्ति स्थिरता और आवृत्ति विन्यास (फ्रीक्वेंसी सेटिंग)

एअरियल का युग्मीकरण (कप्लिंग) और ट्यूनिंग।

बिजली उत्पादन, दक्षता और उत्पादन का नियंत्रण।

नियंत्रण के कार्य।

ऊर्जा (पावर) सप्लाई और अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

हवाई जहाजो पर लगे प्रेषित्रो की विशेषताए।

(दो) ग्राहित्र · (रिसीवर)

ब्लाक आरेख (डायग्राम) और विभिन्न स्तरों का क्रमानुसार कार्य

प्रमुख स्तरो के परिपथ आरेख (डायग्राम)।

कोलाहल सीमित (लिमिटर) ए० वी० सी० चयनात्मक (सिलेक्टीविटी), संवेदशीलता, तद्रूपता, स्थिरता, मूकन।

विभिन्न नियंत्रणों का कार्य।

ऊर्जा (पावर) सप्लाई और अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

(तीन) दिशानिर्देशक और दिकचालन के साधन।

स्वचल दिशानिर्देशक ग्राहित्र के ब्लाक आरेख और विभिन्न स्तरों का क्रमानुसार कार्य।

(चार) हवाई जहाजों पर विभिन्न प्रयोजनो के लिए प्रयोग किये जा रहे एअरियलों की किस्में।

परिशिष्ट IV

उपकरणों पर प्रायोगिक परीक्षा

तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा निम्नलिखित उपस्करों पर होगी।

क. सामुद्रिक चल सेवा

जहाजों पर लगे निम्नलिखित सामुद्रिक रेडियो उपस्कर।

1. मुख्य प्रेषित्र।
2. आपात्तिक प्रेषित्र।
3. अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) प्रेषित्र और ग्राहित्र।
4. मुख्य ग्राहित्र।
5. आपात्तिक ग्राहित्र।
6. दिशानिर्देशक।
7 स्वचल अलार्म।
8. उर्जा (पावर) सप्लाई और उपर्युक्त उपकरणो से सम्बन्ध अन्य आनुषगिक उपस्कर।

ख. वैमानिक चल सेवा

विमानो पर लगे निम्नलिखित वैमानिक रेडियो उपस्कर।

1 उच्च आवृत्ति (एच० एफ०) प्रेषित्र।
2. उच्च आवृत्ति (एच० एफ०) ग्राहित्र।
3. अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) प्रेषित्र।
4. अति उच्च आवृत्ति (वी० एच० एफ०) ग्राहित्र।
5. राडार कम्पास।
6 स्वचल दिशानिर्देशक।
7 ऊर्जा (पावर) सप्लाई और उपर्युक्त उपकरणो से सम्बन्ध अन्य अनुषगिक उपस्कर

टिप्पणी 1 जिस विशिष्ट उपस्कर पर सामुद्रिक और वैमानिक चल सेवा की प्रयोगिक परीक्षाएं होगी उनकी सूचना समय-समय पर सम्बन्ध स्थानो/सगठनो को दे दी जाएगी।

2 अगले आदेशो तक प्रयोगिक परीक्षा निम्नलिखित उपकरणो पर होगी :—

उपस्क	माकोगी	वेल
(1) मुख्य प्रषित्र (उच्च आवृत्ति)	ओशनस्पेन	एम० एच० स०-108
(2) आपात्तिक प्रेषित्र (माध्यम रिलाइअन्स आवृत्ति)		एम० एस० एन०-126
(3) मुख्य ग्राहित्र	(एक) इलेक्ट्रा (एक) मर्करी	एल० एफ० एडेप्टर के साथ आर० एस० 412
(4) आपात्तिक ग्राहित्र	अलर्ट	एच० एन० 413
(5) अति उच्च आवृत्ति ट्रांस-रिसीवर	—	एम० वी० एन० 223
(6) स्वचल अलार्म	विजिलैंट या सी० गार्ड	ए० क्यू० 6407
(7) दिशानिर्देशक	लोडस्टीन	(बाद में निर्धारित किया जाएगा)।

(8) ऊर्जा (पावर) सप्लाई और उपर्युक्त उपकरणो से सम्बन्ध अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

(ख) वैमानिक चल सेवा :

(1) कोलिन्स, यू० एस० ए० एच० एफ० ट्रांसमीटर/रिसीवर टाइप, 618 एस०-1।

(2) बेंडिक्स, यू० एच० /ए० वी० एच० एफ० ट्रांसरिसीवर टाइप, आर०-टी० ए० 42-ए०।

(3) कोलिन्स, यू० एस० ए० स्वचल दिशानिर्देशक टाइप, 51 वाइ०-3।

(4) ऊर्जा (पावर) सप्लाई और उपर्युक्त उपकरणो से सम्बन्ध अन्य आनुषंगिक उपस्कर।

के० वरदाराजन
सहायक बेतार सलाहकार

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

नौवहन महानिदेशालय

बम्बई, 400001, दिनांक 15 जनवरी 1977

संकल्प

स० 38-एस० एच० (4)/75—नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प स० -7 एम० डब्लयू० सी० (11)/75एम० ए० दिनांक 3 अगस्त, 1976, के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली, पत्र स० 1-एम० डी० एम० (28)/76-एम० ए०, दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का पयोग करते हुए, नौवहन महानिदेशक, ए० दोरायस्वामी नाडार मरगथवेल्ली अम्माल, महिला महाविद्यालय, नागपट्टनम की प्राचार्य श्रीमती सेलवी के० राजेश्वरी को डेक यात्री कल्याण समिति, नागपट्टनम की गैरसरकारी सदस्या के रूप मे नियुक्त करते हैं।

मस्तान सिंह
नौवहन उप महानिदेशक

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत् विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1977

संकल्प

सं० 1 (1)/67-बी० टी० पी० सी० बी०—बदरपुर ताप-विद्युत् नियंत्रण बोर्ड की स्थायी समिति के गठन से संबंधित भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के संकल्प सं० 1/1/67-बी० टी० पी० सी० बी०, दिनांक 30 नवम्बर, 1973 और 1 (1)/67-बी० टी० पी० सी० बी० दिनांक 18 जनवरी, 1974 द्वारा यथासंशोधित उक्त मंत्रालय के संकल्प संख्या 1 (1) /67-बी० टी० पी० सी० बी०, दिनांक 23 अक्तूबर, 1973 के पैरा 6 में क्रम सं० 2 की प्रविष्टि, अर्थात् "अतिरिक्त सचिव, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय-सदस्य" हटा दी जाएगी।

2. क्रम संख्या 3 से 11 तक की वर्तमान प्रविष्टियों को नई क्रम संख्या 2 से 10 दे दी जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधानमंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और दिल्ली प्रशासन को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेन्द्र प्रकाश जैन, उप निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd January 1977

No F.2(10)-NS/76.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, namely —

1 (1) These rules may be called the Post Office (Time Deposits) Amendment Rules 1977;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Post Office (Time Deposits) Rules, 1970, after rule 8, the following rule shall be inserted, namely :—

8A Redeposit.—Where an account or a particular deposit therein has become due for repayment, the depositor may redeposit the amount, either in the same account or in a Time Deposit, as the case may be, tendering his application for withdrawal in Form 'B' duly discharged. In such a case, the date of credit shall be the same as the date of maturity of the earlier account or deposit

Provided that the period of redeposit shall not be less than as specified below .—

Period elapsed between the date of maturity and the date of redeposit.	*Minimum period of redeposit.*
6 months or less	1 year
More than 6 months but upto 12 months	2 years
More than 12 months but upto 18 months	3 years
More than 18 months but upto 60 months	5 years."

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF IRRIGATION)

New Delhi, the 13th January 1977

RESOLUTION

No 44/1/76-Adm.I.—In this Ministry's Resolution No. 44/1/76-Adm I, dated the 15th April, 1976, regarding setting up of a Committee to go into the functional and organisational aspects of the Central Water and Power Research Station, Pune, the following shall be added after para 5(vii) :

(viii) Review the organisational structure and modes of operation of the Central Soils and Materials Research Station, Central Water Commission, with a view to ensuring that the Research Station is capable of successfully handling its programmes

2 The term of the High Level Committee is also hereby extended for a further period upto the end of February, 1977.

ORDER

Ordered that the above Resolution may be published in the Gazette of India.

B. M. K. MATTOO, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 29th January 1977

RESOLUTIONS

No 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw material is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot, and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Medicinal Plants and Drugs The composition of the Committee shall be as follows —

1. Inspector General of Forests & *Ex-officio* Addl. Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture). Chairman
2. Director, Central Indian Medicinal Plants Organisation, Lucknow. Member
3. Director, Drug Research Institute, Lucknow. Member
4. Representative from Ministry of Industrial Development. Member
5. Representative from Ministry of Commerce. Member
6. Representative from National Chemical Laboratory, Pune Member
7. Representative from Council of Scientific & Industrial Research, New Delhi. Member
8. Director, Central Plantation Crops Research Institute, Kasargode (Kerala). Member
9. Joint Commisisoner (Cash Crops), Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture). Member
10. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member
11. Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh. Member
12. Chief Conservator of Forests, Jammu & Kashmir. Member
13. Director of Industries, Uttar Pradesh Member
14. Director of Industries, Jammu & Kashmir Member
15. Officer-in-Charge, Minor Forest Products Branch, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member
16. Officer-in-Charge, Chemistry of Forest Products Branch, Forest Research Institute, Dehra Dun. Member
17. Director, Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (a Government of India Undertaking), 12th South Extension, (Part I), New Delhi Member
18. The Secretary, Indian Pharmaceuticals Association, Kalina, Santacruz East, Bombay-400029. A S Member
19. Assistant Inspector General of Forests (FI), Department of Agriculture Convenor

Functions .

1. To consider the raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2. To consider proposals for raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones,

3. To recommend programmes for the creation of plantations based on the present and prospective needs of raw materials,

4. To recommend developmental/research programmes in respect of those plants and drugs which appear promising but are not properly utilised,

5. Any other aspects relating to above with the permission of the Chair.

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary.

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time

Headquarters of the Committee :

The Headquarters of this Committee will be new Delhi. However, the Committee may meet at important centre connected with the forest-based industries

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. 7-9/76-FRY/FIPC.—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot, and also considering that Industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years. Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Packing cases. The composition of the Committee shall be as follows .—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture). Chairman

2 Agricultural Marketing Adviser, Government of India Member

3 Representative from National Agricultural Cooperative & Marketing Federation, New Delhi. Member

4 Director (Hort) Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Member

5. Representative from Planning Commission Member

6 Director of Horticulture, Government of Himachal Pradesh Member

7 Director of Horticulture, Government of Karnataka. Member

8 Chief Conservator of Forests, Himachal Pradesh Member

9. Chief Conservator of Forests, Karnatak. Member

10 President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

11. Director, Forest Products Research, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

12 The Director, Indian Institute of Packaging, E-2, Marol Industrial Estate Andheri (East), Bombay-400029 AS. Member

13 Project Coordinator, Packaging Technology, Central Food Technological Research Institute (CSIR), Mysore-570013 Member

14. Assistant Inspector General of Forests (F.I.), Department of Agriculture. Convenor

Functions .

1 To consider the wood and other raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures;

2. To consider programmes for wood raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend a programme for the creation of plantations based on the present and prospective needs of wood raw materials;

4. To initiate research/developmental activites in respect of use of forest wastes such as chips, sawdust, pine needles etc. for making boards for use as packing materials;

5 Any other aspect relating to above with the permission of the Chair.

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee :

The Headquarters of this Committee will be new Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No 7-9/76-FRY/FIPC—The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw material is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot; and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years Pursuant to this, the Government of India have decided to consitute a Development Committee for sports goods industry. The composition of the Committee shall be as follows :—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation, (Department of Agriculture). Chairman

2 Representative from Ministry of Commerce, (Export Promotion). Member

3 Representative from Ministry of Industrial Development. Member

4 Representative from Planning Commission. Member

5 Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi. Member

6 Representatives from Sports Goods Export Promotion Council, New Delhi Member

7. Representative from National Productivity Council, New Delhi. Member

8 Director of Industries, Punjab. Member

9 Director of Industries, Uttar Pradesh. Member

10 Chief Conservator of Forest, Punjab. Member

11. Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh Member

12. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

13 Chief Coordinator, National Forest Resources Survey. Member

14. The Secretary, Federation of Sports Industries, Jullunder Member

15. The Secretary, All India Sports Manufacturers Federation (Registered), Meerut. Member

16 Representative from Export Promotion Unit Department of Agriculture. Member

17 Assistant Inspector General of Forests (F I), Department of Agriculture. Convenor

Functions :

1. To consider the wood raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2. To consider the proposals for wood raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones.

3. To recommend a programme for the creation of plantations based on the present and prospective needs of weed raw materials.

4. To initiate research/developmental activities to push hitherto un-used but suitable woods for sports goods, after treatment and conditioning if necessary.

5. Any other aspect relating to above with the permission of the Chair

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary.

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee

The Headquarters of this Committee will be New Delhi. However, the Committee may meet at important centres connected with the forest based Industries

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

RESOLUTION

No. 7-9/76-FRY/FIPC —The Central Board of Forestry at its XIV meeting held in October, 1974 recommended that there should be a much closer liaison between the Ministries concerned in view of the fact that growing of raw materials is not an end in itself nor can it be considered as an investment, the responsibility of forestry personnel ending with transport of the produce to the depot, and also considering that industrial planning has to be made alongwith forestry perspective planning for 15—25 years Pursuant to this, the Government of India have decided to constitute a Development Committee for Panel Products Industry The composition of the Committee shall be as follows .—

1 Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) Chairman

2 Representative from Planning Commission Member

3. Representative from Ministry of Commerce Member

4 Representative from Trade Development Authority, New Delhi. Member

5 Representative from Ministry of Industrial Development. Member

6 Representative from National Buildings Organisation, New Delhi Member

7. Representative from Railway Board, New Delhi. Member

8. President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun. Member

9 Chief Conservator of Forest, Kerala. By rotation Member

10 Chief Conservator of Forests, Arunachal Pradesh Member

11 Director of Industries, Kerala Member

12 Director of Industries, Arunachal Pradesh Member

13 Director, Forest Products Research, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun Member

14. Chief Coordinator, National Forest Resources Survey Member

15 Representative of Export Promotion Division, Department of Agriculture Member

16. Director, Indian Plywood Industries Research Institute Bangalore. Member

17. Executive Director, Federation of Indian Plywood & Panel Industries, New Delhi Member

18 Representative of M/s Andaman Timber Ltd , Khaitan Chambers, 26, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700012 Member

19 Assistant Inspector General of Forests (F I), Department of Agriculture Convenor

Functions :

1 To consider the forest raw materials supply position to the existing industries, identify the difficulties in ensuring sustained supply and recommend suitable measures,

2. To consider proposals for forest raw materials supply for the expansion of existing units or establishment of new ones;

3. To recommend programmes for the creation of plantations based on the present and prespective needs of wood raw materials;

4. To consider, the utilisation of agricultural and forest industries wastes by industries;

5. Any other aspect relating ot above with the permission of the Chair.

The Committee may coopt any individual/organisation as and when considered necessary.

Duration of the Committee :

Initially the Committee will function for three years and may be extended from time to time.

Headquarters of the Committee

The Headquarters of this Committee will be New Delhi However, the Committee may meet at important centres connected with the forest-based industries.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. SETH, Inspector General of Forests & *Ex-officio* Additional Secretary

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
(DEPTT OF EDUCATION)

New Delhi, the 15th January 1977

No. F 1-2/75-SP-I —In pursuance of the Ministry of Education and Social Welfare Resolution No. F.1-2/75-SP-I dated the 15th December, 1976, read with Resolution of the same number dated 30th December, 1976, reconstituting the All India Council of Sports, the following are nominated on the All India Council of Sports, for a period of three years with effect from 15th December, 1976 :

President

Gen. P P. Kumaramangalam, D S.O (Retd)

Members

(1) *Sportsmen* :

1. Shrimati Stephie Saquira
2. Shri Milkha Singh

3 Shri Nandu Natekai
4 Shri Hemu Adhikari
5 Shri P. Roy
6 Shri S Mewalal
7. Dr. T Ao
8 Shri Balbir Singh
9 Shri L Claudius
10. Shrimati Arati Gupta
11. Rajkumari Bhuvaneshwari Kumari
12 Shri Prem Pandhi
13. Shri R Krishnan
14 Shri Chandgi Ram
15. Shri Nripjit Singh
16 Major H. P. S Ahluwalia
17. Sub. Major Anant Ram
18. Group Capt. J. K. Kapoor
19 Shri P G. Sethi

(ii) *Sports Promoters* :

20. Shri V N Kak
21 Shri R T Parthasarathy
22. Shri S. K. Wankhade
23. Shri Bhalindra Singh
24. Shri R K. Khanna
25. Maj Gen R. Bakshi (Retd.)
26 Name will be notified later

(iii) *Sports writers* :

27. Shri Ron Hendricks
28. Shri R Sriman
29 Shri Khalid Ansari

(iv) *Educationists* :

30 Dr. R. C Mehrotra
31 Shri Zakirullah Khan
32 Shri Hari Dang

(v) *Members of Parliament*·

33 Names of four Members of Lok Sabha and two Mem-
to bers of Raja Sabha will be notified later.
38

(vi) *Representatives of State Sports Councils* :

39. Shri Pankajakshan (Kerala)
40. Shri R K Bhargava (U.P.)
41. to 43. Names will be notified later

(vii) *Ex-Official Members* .

44. Lt. Gen. K P. Candeth (Retd.), Director-General Youth Services, Cabinet Sectt.

45. Shri C. V. Ranganathan, Joint Secretary, Ministry of External Affairs

46 Name of the representative of the Ministry of Information and Broadcasting will be notified later.

2. Pending nomination of a Joint Secretary/Joint Educational Adviser in-charge of games and sports in the Ministry Shri S. K Chaturvedi, Director in the Ministry of Education and Social Welfare, will function as Member-Secretary of the Council till further orders

A S. TALWAR, Dy Secy (Sports)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(W.P.C. WING)

New Delhi, the 9th December 1976

No R-11013/4/75-LR.—With reference to the provisions of Rule 8 of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954, the Ministry of Communications hereby issue the revised syllabus in respect of the subjects shown against the certificates of proficiency examinations indicated below :

1. First and Second Class Radiotelegraph Operators Certificates Examinations . Standard Radio Installations.

2 (i) First, Second and Special Radiotelegraph Operators' Certificates Examinations · Practical Test on Apparatus.

(ii) Radiotelephone Operators (General) Certificate Examination : Practical Test on Apparatus.

(iii) Radiotelephone Operators (Restricted) Certificates Examination (maritime mobile service only) : Practical Test on Apparatus.

The revised syllabus shall come into force with effect from 1st March, 1977.

APPENDIX II

STANDARD RADIO INSTALLATION

(DETAILED SYLLABUS)

A. MARITIME MOBILE SERVICE

(a) Detailed knowledge of principles of operation and circuitery of equipment listed in Appendix IV A with particular reference to the following —

(i) *Transmitters* :

—Block diagrams suitable for operation on M F , H.F. and V H F.
—Functions of different stages,
—Essential metering facilities and purpose thereof;
—Circuit diagrams of basic and essential stages,
—Methods of Keying;
—Modulation techniques,
—Over-load and protection against over-load;
—Arrangement for safety of personnel,
—Neutralisation, frequency stability and automatic frequency changing arrangements;
—Aerial coupling and tuning,
—Power output efficiency and control of out put power;
—Functions of control,
—Power supply and other ancillary equipment;
—Special features of ship borne transmitters.

(ii) *Receivers* :

—Block diagram and functions stage by stage;
—Noise limiter, A V.C , selectivity, B F.O , Caliberator, desensitizing, muting, sensitivity, fidelity and stability;
—Circuit diagram of important stages,
—Functions of various controls;
—Power supply & other ancillary equipment.

(iii) *Direction Finder* ·

—Block diagram and function stage by stage;
—Functions of various controls;
—Goinometer, sense, calibration choke,
—Power supply and other ancillary equipment

(iv) *Auto-Alarm* ·

—Block diagram and function stage by stage;
—Provision for testing;
—Failure warning devices;
—Functions of various relays in the selector unit;
—Power supply and

(v) Other ancillary equipment

(vi) *Aerials*

Types of aerials used on board ship.
—Installation and maintenance of aerials for trans-

mission, reception and direction finding used on ship;
—Lay out diagrams of same typical aerials.

B. AERONAUTICAL MOBILE SERVICE

(a) Detailed knowledge of principles of operation and circuitory of equipment listed in Appendix IV B with particular reference to the following :—

(i) *Transmitter* :

—Block diagram suitable for operation on H F. and V H.F.
—Functions of different stages,
—Circuit diagrams of basic and essential stages,
—Essential metering facilities;
—Modulation techniques;
—Over-load and protection against over-load;
—Neutralisation, Frequency stability and frequency setting;
—Aerial coupling and Tuning;
—Power output, efficiency and control of output;
—Functions of controls;
—Power supply and other ancillary equipment.
—Special features of airborne transmitter.

(ii) *Receivers* :

—Block diagram and function stage by stage;
—Circuit diagram of important stages;
—Noise limiter, A.V.C , selectivity, sensitivity, fidility, stability, muting;
—Functions of various controls;
—Power supply and other anciallary equipment.

(iii) *Direction Finder and Navigational Aids* .

—Block diagram and function stage by stage of the Automatic Direction Finding Receiver and the functions of its various controls.

(iv) Types of aerials used on aircraft for different purposes.

APPENDIX—IV

PRACTICAL TEST ON APPARATUS

The technical practical test will be conducted on the following equipment.

A. *Maritime Mobile Service* :

Following Marine Radio equipment installed on board a ship.

1. Main Transmitter.
2. Emergency Transmitter.
3. V.H F. Transmitter and Receiver.
4. Main Receiver.
5. Emergency Receiver.
6. Direction Finder.
7. Auto Alarm.
8. Power supply and other ancillary equipment associated with above apparatus

B. *Aeronautical Mobile Service* .

The following Aeronautical Radio equipment install on board an aircraft.

1. H F Transmitter.
2. H F. Receiver.
3. V.H F. Transmitter.
4. V H F Receiver.
5. Automatic Direction Finder.
6. Radar Compass
7. Power supply and other ancillary equipment associated with the above apparatus.

NOTE : 1. The specific type of equipment on which the practical test will be conducted in the Maritime or Aeronautical mobile service will be specified to the concerned Institutions/Organisations from time to time

2. Until further orders the practical tests will be conducted on the apparatus listed below :

(a) MARITIME MOBILE SERVICE: (The test shall be conducted either on Marconi or BEL equipment available at the Examination Centre)

	EQUIPMENT	MARCONI	BEL
(1)	Main Transmitter (HF)	Oceanspan VII	NHS-108, MMN-126
(2)	Emergency Transmitter (M.F.)	Reliance	MMN-118
(3)	Main Receiver	(i) Electra ii) Mercury	RS 412 with LF adaptor
(4)	Emergency Receiver	Alert	HN 413
(5)	VHF Transreceiver	——	LVN 223
(6)	Auto-Alarm	Vigilant or Seaguard	AQ 6407
(7)	Director Finder	Lodestone	(will be specified later on)

(8) Power supply and other ancillary equipments associated with the above apparatus.

(b) *Aeronautical Mobile Service* :

(1) Collins, U.S A. H F. Transmitter/Receiver type 618S-1.

(2) Bendix, U.S A. V.H.F. Transreceiver type RTA 42 A.

(3) Collins, U.S.A. Automatic Direction Finder type 51 Y—3.

(4) Power supply and other ancillary equipment associated with the above apparatus.

K VARADARAJAN, Assistant Wireless Adviser.

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 001, the 15th January 1977

RESOLUTION

No. 38-SH(4)/75.—With reference to the Ministry of Shipping & Transport Resolution No. 7-MWC(11)/75-MA dated the 5th August, 1976, the Director General of Shipping, Bombay in exercise of the powers of the Central Government delegated to him vide Ministry of Shipping & Transport, New Delhi letter No. 1-MDS(28)/76-MA dated the 15th October, 1976, is pleased to appoint Shrimati Selvi K Rajeswari, Principal, A. Doraiswamy Nadar Maragathavalli Ammal College for Women, Nagapattinam as the Non-Official Lady Member of the Deck Passenger Welfare Committee, Nagapattinam

MASTAN SINGH, Dy. Director Gen. of Shipping.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 12th January 1977

RESOLUTION

No 1(1)/67-BTPCB.—In para 6 of the erstwhile Ministry of Irrigation and Power's Resolution No. 1(1)/67-BTPCB dated 23rd October, 1973, as amended by Resolution No. 1(1)/67-BTPCB dated 30th November, 1973 and No. 1(1)/67-BTPCB dated 18th January, 1974, relating to the constitution of the Standing Committee of Badarpur Thermal Project Control Board, the entry at Sl. No. 2, viz. "Additional Secretary, Ministry of Irrigation and Power—Member" shall be deleted

2. The existing entries at Sl. Nos. 3 to 11 shall be re-numbered as Sl. Nos. 2 to 10.

ORDER : Ordered that the above Resolution be communicated to the Government of Haryana and Uttar Pradesh, the Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India and the Delhi Administration.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. P. JAIN, Dy Director (P)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976